प्रेषक,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून।

सेवा में,

समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पत्रांक/अकादमिक/ 35529 /बायोमैट्रिक मशीन/2015–16 दिनांक 16 मार्च 2016

विषय– **मॉडल विद्यालयों में बायोमैट्रिक मशीन स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देशों का प्रेषण।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके जनपद के अन्तर्गत प्रति विकासखण्ड दो–दो चयनित मॉडल माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक/कर्मचारी की उपस्थिति समय पर सुनिश्चित किये जाने के लिए बायोमैट्रिक मशीन लगायी जानी है, जिस हेतु पत्रांक–अर्थ–1/35240–45/5क(01)/33/2015–16 दिनांक 14 मार्च 2016 के द्वारा इन विद्यालयों को धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है। मॉडल विद्यालयों में बायोमैट्रिक मशीन की स्थापना के सम्बन्ध में पूर्व में दिये गये दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुये शीघ्रता से विद्यालय स्तर पर गठित क्रय समिति के माध्यम से क्रय किए जाने हेतु निदेर्शित कर दें। इसके लिए विस्तृत दिशा–निर्देश की प्रति भेजी जा रही है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में यह कहने का निर्देश हुआ है कि अपने जनपद के अन्तर्गत स्थापित मॉडल विद्यालयों को उपर्युक्तानुसार तत्काल निर्देशित करें, ताकि मशीनों की स्थापना शीघ्र कराई जा सके। कृत कार्यवाही से निदेशालय को भी अवगत करायें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

16-3-16
(नागेन्द्र बर्त्वाल)
उप निदेशक
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

मॉडल स्कूलों में बायोमैट्रिक मशीन लगाए जाने हेतु निर्देश–

बायोमैट्रिक एटेन्डेंस मशीन माध्यमिक विद्यालयों में गुणवत्ता संवर्धन एवं अध्यापक/ कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है। माननीय उच्च न्यायालय में योजित पी0आई0एल0 संख्या–164/2013 दौलत राम सेमवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा भी माध्यमिक विद्यालयों में बायोमैट्रिक मशीन लगाये जाने के निर्देश दिये गये हैं। प्रथम चरण में प्रदेश के 190 मॉडल माध्यमिक विद्यालयों में भौतिक संसाधन उपलब्ध कराने के साथ–साथ बायोमैट्रिक मशीन लगाये जाने की भी योजना है। इसके लिए, इन विद्यालयों के प्रधानाचार्य बायोमैट्रिक मशीन क्रय करने से पूर्व एवं पश्चात निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करेगें।

1. प्रत्येक विद्यालय में बायोमैट्रिक मशीन लगाये जाने के लिए रू0 7500/– (रूपये सात हजार पॉच सौ मात्र) की धनराशि भेजी जा रही है। जिसमें मशीन क्रय एवं Installation किये जाने का व्यय सम्मिलित है।
2. मशीन क्रय किये जाने में पूर्व में दिये गये निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008 एवं यथासंशोधित–2015 के अनुसार ही क्रय करने की कार्यवाही की जाय।
3. मशीन गुणवत्तापरक हो, इसके लिए विद्यालय स्तर पर गठित क्रय समिति के अनुमोदनापरान्त ही क्रय करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। इस हेतु विक्रेता फर्म के साथ एम0ओ0यू0/एग्रीमेन्ट का प्रारूप भी प्रेषित किया जा रहा है, ताकि भविष्य में आने वाली कठिनाइयों का निवारण किया जा सके।
4. क्रय की जाने वाली बायोमैट्रिक मशीन की वारण्टी कम से कम एक वर्ष की होनी चाहिए, तथा वारण्टी अवधि के पश्चात वार्षिक अनुरक्षण कान्टेक्ट (AMC) भी कराया जाना चाहिए।
5. क्रय किए जाने के पश्चात मशीन कार्यालय अथवा प्रधानाचार्य कक्ष में ही स्थापित की जाय, ताकि मशीन का संचालन ठीक प्रकार से किया जा सके।
6. मशीन की देख–रेख के लिए विद्यालय के किसी कर्मचारी को नियुक्त किया जाय तथा विक्रेता फर्म से उन्हें समुचित प्रशिक्षण भी दिलाया जाए।
7. माह के अन्त में मशीन से प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का डाटा संकलित कर खण्ड शिक्षा अधिकारी से भी सत्यापित कराया जाय।
8. प्रति माह उपस्थिति का डाटा विद्यालय में सुरक्षित रखा जाय तथा सेवा पुस्तिका की अवकाश लेखे तथा आकस्मिक अवकाश की पंजी से भी उसका मिलान किया जाय। निरीक्षण के समय निरीक्षणकर्ता अधिकारी से भी डाटा अवलोकित कराया जाय।
9. वेतन परिवर्तन तैयार करने से पूर्व प्रतिमाह की 20 तारीख तक डाटा संकलित अवश्य कर लिया जाए, ताकि अध्यापक/कर्मचारी के कुल उपस्थित दिवसों के आधार पर ही वेतन आहरित किया जा सके।

1. 2. 3. 4. 5.

8. कय आदेश निर्गत होने के 15 दिन के अन्दर उपकरण संस्था को उपलब्ध करा दिया जाएगा अन्यथा की स्थिति में कय आदेश स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा।

9. यदि कोई विवाद होता है तो उसे विवाद निवारण समिति द्वारा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, निवारण किया जायेगा।

(a) मुख्य शिक्षा अधिकारी।

(b) विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत वित्त विभाग का प्रतिनिधि।

(c) विद्यालय का प्रतिनिधि।

समिति का निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

10. विवाद की स्थिति में वाद मात्र ..... में स्थित न्यायालय में ही योजित किया जा सकेगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों ने अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से इस विलेख पर ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख, माह और वर्ष को हस्ताक्षर किये और अपनी मोहर लगाई।

ग्राहक के लिये और उसकी ओर से	**विक्रेता के लिये और उसकी ओर से**
नाम	**नाम**
पदनाम	**पदनाम**
साक्षी	**साक्षी**
1.	**1.** .....
2.	**2.** .....